राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 9501/2022

रेखा वर्मा पत्नी नौरंग राम, उम्र लगभग 47 वर्ष, गांव मेरथल, तहसील तारा नगर, जिला चूरू। वर्तमान में निवासी सी/200, थर्मल कॉलोनी, कोटा।

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, बीकानेर के माध्यम से।
2. संयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, चूरू संभाग, चूरू।

----प्रतिवादीगण

अपीलार्थी(गण) के लिए : श्री राकेश अरोड़ा
प्रतिवादी(गण) के लिए : श्री हेमंत चौधरी

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

आदेश

23/05/2024

1. याचिकाकर्ता की शिकायत अन्य बातों के साथ-साथ प्रतिवादियों द्वारा उसकी एम.एस.सी. डिग्री की योग्यता पर विचार न किए जाने से उत्पन्न हुई है, जिसके कारण उसे उसकी पदोन्नति से वंचित किया गया।

2. संक्षेप में, याचिका में बताए गए प्रासंगिक तथ्य इस प्रकार हैं:-

2.1 याचिकाकर्ता के पास बी.एस.सी., एम.एस.सी. रसायन विज्ञान और बी.एड. की योग्यता है। वरिष्ठ अध्यापक के पद पर सेवा में आने के बाद, उसकी सेवा पुस्तिका में इसे दर्ज किया गया। वरिष्ठ अध्यापक से स्कूल व्याख्याता के पद पर पदोन्नति के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक के समय, याचिकाकर्ता को पता चला कि डी.पी.सी. से पहले उसकी एम.एस.सी. की योग्यता उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

2.2 याचिकाकर्ता ने उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, चूरू को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसमें कहा गया कि उसकी एम.एस.सी. योग्यता को ध्यान में रखा जाए। तदनुसार, उसे स्कूल व्याख्याता के पद पर पदोन्नति के लिए विचार किया जा सकता है। उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, चूरू ने एक आदेश पारित किया, जिसके तहत उसकी एम.एस.सी. योग्यता को जोड़ा गया। हालांकि, इस आदेश में कहा गया कि याचिकाकर्ता द्वारा एम.एस.सी. योग्यता जोड़ने के लिए आवेदन देरी से प्रस्तुत किया गया था। जो भी हो, उसे चेतावनी के साथ सेवा रिकॉर्ड में शामिल करने की अनुमति दी गई।

2.4 याचिकाकर्ता ने एक और अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जिसमें अनुरोध किया गया कि उसे वर्ष 2015-16 के लिए रिक्तियों के विरुद्ध स्कूल व्याख्याता के पद पर पदोन्नत किया जाए। इस आवेदन में याचिकाकर्ता ने विशेष रूप से कहा कि प्रारंभिक कार्यभार ग्रहण करने के समय ही याचिकाकर्ता के पास एम.एस.सी. की योग्यता थी और उक्त योग्यता का उल्लेख उसकी सेवा पुस्तिका और नियुक्ति आदेश में भी किया गया था।

2.5 प्रतिवादी संख्या 1 ने याचिकाकर्ता एवं अन्य को वर्ष 2016-17 की रिक्तियों के विरुद्ध व्याख्याता के पद पर पदोन्नत करने का आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता ने वर्ष 2015-16 के स्थान पर वर्ष 2016-17 की रिक्तियों के विरुद्ध पदोन्नत होने पर विभिन्न अभ्यावेदन प्रस्तुत किए। आदेश दिया गया कि याचिकाकर्ता की एम.एस.सी. योग्यता को वर्ष 2015-16 की रिक्तियों के विरुद्ध पदोन्नति हेतु डी.पी.सी. की बैठक के पश्चात सम्मिलित किया गया था, अतः चूंकि एम.एस.सी. योग्यता की यह प्रविष्टि डी.पी.सी. के पश्चात की गई है, अतः उसे वर्ष 2016-17 की रिक्तियों के विरुद्ध पदोन्नत किया जाना उचित है। अतः वर्तमान रिट याचिका।

3. जवाब में यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता की एम.एस.सी. (रसायन विज्ञान) की योग्यता को दिनांक 22.09.2015 के आदेश द्वारा वरिष्ठता सूची में दर्ज किया गया था। इसके बाद, उसे उसकी वरिष्ठता के आधार पर वर्ष 2016-17 की रिक्तियों के विरुद्ध स्कूल व्याख्याता के पद के लिए चुना गया था।

3.2 याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत वर्तमान याचिका देरी और कमियों के आधार पर खारिज करने योग्य है। यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता को वर्ष 2016-17 की रिक्तियों के विरुद्ध स्कूल व्याख्याता के पद पर पदोन्नत और कार्यभार ग्रहण किया गया था। हालाँकि, याचिकाकर्ता ने वर्ष 2022 में विलंब से यह याचिका दायर की है।

4. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने और अपने विचार-विमर्श के बाद, मैं यह देखने के लिए बाध्य हूँ कि प्रतिवादियों ने अपने उत्तर में याचिकाकर्ता को उसके समकक्षों के साथ पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के अवसर से वंचित करने के लिए पूरी तरह से झूठा बचाव किया है। यह एक स्वीकार्य स्थिति है कि न केवल याचिकाकर्ता को सेवा में प्रारंभिक रूप से शामिल किए जाने के समय, उसने एम.एससी. (रसायन विज्ञान) की अपनी स्नातकोत्तर योग्यता पर भरोसा किया था, जिस पर कभी संदेह या विवाद नहीं किया गया था। उसके बाद भी, उसकी सेवा पुस्तिका में उसकी स्नातकोत्तर योग्यता दर्ज करने के लिए उचित कदम उठाए गए थे। प्रतिवादियों द्वारा उक्त डिग्री की वास्तविकता और/या अन्यथा के बारे में कोई सवाल नहीं उठाया गया था, याचिकाकर्ता किसी भी कारण से उस पर भरोसा करने के योग्य नहीं है।

5. इसके बाद, यह कहना कि याचिकाकर्ता के मामले में लेक्चरर के पद पर पदोन्नति के लिए विचार नहीं किया गया क्योंकि उसने एम.एस.सी. की डिग्री प्रदान करने में देरी की थी, न्यायोचित नहीं लगता। इस प्रकार उसे डी.पी.सी. कार्यवाही में भाग लेने के लिए अयोग्य ठहराया गया और उम्मीदवारों की सूची से बाहर कर दिया गया। याचिकाकर्ता को उसके समकक्षों के साथ पदोन्नति के लिए विचार न करने का दोष पूरी तरह से प्रतिवादियों का है जिसके लिए उसे किसी भी प्रतिकूल परिणाम के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

6. परिणामस्वरूप, मेरा मानना है कि याचिकाकर्ता के संबंध में दिनांक 28.01.2013 और 12.06.2013 (अनुलग्नक 7 और 8) के आक्षेपित आदेश, जहां तक उसकी एम.एस.सी. (रसायन विज्ञान) की डिग्री शामिल नहीं की गई है, संधारणीय नहीं हैं। इस सीमा तक, उन्हें अपास्त किया जाता है। प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ता के मामले पर उसके समकक्षों के साथ समानता के आधार पर उसकी एम.एस.सी. (रसायन विज्ञान) की डिग्री पर विचार करें, आज से तीन महीने की अवधि के भीतर समीक्षा डी.पी.सी. का गठन करें और उसे उससे उत्पन्न होने वाले सभी आभासी लाभ प्रदान करें।

7. उस अवधि के दौरान जब याचिकाकर्ता ने पदोन्नति वाले पद पर काम नहीं किया, जबकि उसके समकक्षों को उससे पहले पदोन्नत किया गया था, वह 'समान काम के लिए समान वेतन' के सिद्धांत पर किसी भी वित्तीय लाभ की हकदार नहीं होगी, क्योंकि उसने ऐसे पद पर काम किया जो उसके समकक्षों से एक रैंक नीचे है, तत्काल रिट याचिका दायर करने में उसके द्वारा किए गए विलंब के कारण को छोड़कर।

8. उपरोक्त शर्तों के तहत रिट याचिका स्वीकार की जाती है।

9. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा),जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।
अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।